संख्या : 164/2015/2581/आठ–1–15–14बैठक/14

प्रेषक,

पनधारी यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 9 अक्टूबर, 2015**

विषय :– राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 एवं उ0प्र0 रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लान्ट नीति–2014 के अनुपालन में सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी सेस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान, 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स तथा अन्य भवनों पर रूफ टाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2014 में राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किए जाने की रणनीति है तथा आवास सेक्टर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स, सरकारी तथा गैर–सरकारी कार्यालयों और भवनों में आंशिक विद्युत लोड की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा प्लान्ट/संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किए जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नीति, 2014 में प्राविधानित है कि सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों के परिसर में भवनों की छतों पर स्वयं के उपयोग हेतु ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। यह रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नेट इनर्जी मीटरिंग/नेट इनर्जी बिलिंग क्रियाविधि पर आधारित होगा। सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आवश्यक रूप से अपने कार्यालय भवन के उपलब्ध कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना के लिए किया जाएगा। यह भी प्राविधानित है कि प्रदेश सरकार द्वारा निजी संस्थानों को परिसर में भवनों की छत पर कैपटिन उपयोगार्थ, उपयुक्त क्षमता के रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 तथा उ0प्र0 रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नीति–2014 के प्राविधानों के अनुपालन में भवनों की छतों पर रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना किए जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में एक नया प्रस्तर–3.11.9 के रूप में निम्नानुसार सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया–

   "सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान, 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स तथा अन्य भवनों में रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।"

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय–3 में उपरोक्तानुसार

एक नया प्रस्तर–3.11.9 सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत कर लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

पनधारी यादव

सचिव

<u>**संख्या व दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी

संयुक्त सचिव